



विकसित भारत
अभियान
1947 TO 2047

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(Cadre Control Unit)

स्थापना आदेश संख्या: CCU- 80/2025

इस कार्यालय द्वारा जारी स्थापना आदेश सं. CCU-18/2024 दिनांक 02.02.2024 में आंशिक समायोजन करते हुए वर्ष 2025 में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची में निम्नलिखित अधिकारी को शामिल किया जाता है।

क.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम (श्री/सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
1	2	3	4	5
1	गणेंद्र सिंह शेखावत (नेवरी), सहायक आयुक्त	06.11.1965	30.11.2025	Customs (Prev) Commissionerate, Jodhpur

नोट : वर्तमान में लागू सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारी / कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है। अतः सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की जन्मतिथि का सेवा-पुस्तिका से मिलान करना सुनिश्चित करें और यदि कोई त्रुटि हो तो सूचित करने का श्रम करें।

(अनुपमा सक्सेना)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अपर/संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/ अंकेक्षण-जयपुर/ अंकेक्षण-जोधपुर/ अपील्स-जयपुर /अपील्स-जोधपुर /सीमा शुल्क (मु), जयपुर/ सीमा शुल्क-जोधपुर / डी.जी.जी.आई., जयपुर।
2. अधीक्षक(सतर्कता / प्रशासन), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
4. वेब मास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी प्रति / निजी पत्रावली / गार्ड फाइल / सर्विस बुक / नोटिस बोर्ड / वरीयता सूची।